प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

विधिक अपील क्षतीपूर्ति क्रमांक 1446 वर्ष 2009

अपीलकर्ता विवेकानंद मंडल और अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत अपील

युगल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति आई एम. कुद्दुसी

& माननीय न्यायमूर्ति प्रशांतकुमार मिश्रा, न्यायाधीशगण

श्री प्रफुल्लभारत, अधिवक्ता तथा श्री केशव देवांगन अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

प्रतिवादी/राज्य के लिए उपमहाधिवक्ता श्री विनय हरित।

आदेश (मौखिक)

(21 फरवरी, 2011 को पारित)

माननीय **श्री आई.एम. कुद्दुसी न्यायाधीश** के अनुसार

1. यह अपील द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जगदलपुर द्वारा

दावा प्रकरण क्रमांक 71/1991 में पारित दिनांक 1.9.1992 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें दावा याचिका को समय सीमा द्वारा बधित बताते हुए निरस्त कर दिया गया था

2.वर्तमान अपील समय सीमा से बाहर थी,लेकिन विधिक अपील क्रमांक 179/2002 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17 फरवरी, 2009 के आदेश के अनुसार जिसमें अपीलकर्ताओं को उनके पहले दावा प्रकारण संख्या 71/1991 में पारित दिनांक 01.09.1992 के आक्षेपित निर्णय/आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी, इस अपील को दायर करने में हुई देरी को दिनांक 28.04.2010 के आदेश के तहत क्षमा कर दिया गया और इस अपील को आज यानि 21 फरवरी, 2011 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के जगदलपुर, बस्तर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष 14.8.1991 को दावा याचिका दायर की थी। दुर्घटना 4.2.1990 को हुई थी। दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित तथ्य वर्तमान अपील में दिए गए हैं कि मृतक प्रभाती मंडल 4.2.1990 को समर मंडल के साथ साइकिल पर

जारही थी। जब वे चित्रकोट रोड पर गायत्री मंदिर के पास पहुंचे, तो पंजीकरण संख्या CPZ-6675 वाले दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक (स्वर्गीय के। स्वामी राव) की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण, एक दुर्घटना हुई क्योंकि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ने साइकिल को टक्कर मार दी, मृतक प्रभातीमंडल को गंभीर चोटें आई और उन चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

4. मृतक के विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते, दावेदारों ने मोटरवाहन आधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत विभिन्न मदों में कुल 4,55,000/- रुपये के प्रतिकार के लिए दावा याचिका दायर की। उक्त दावा याचिका संख्या 71/91 को उक्त आदेश द्वारा सीमा अवधि के आधार परखारिज कर दिया गया क्योंकि उस समय अधिनियम, 1988 की धारा 166 की उपधारा (3) अस्तित्व में थी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थेः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"ऐसे प्रतिकार के लिए कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह दुर्घटना घटित होने के छह महीने के भीतर न किया गया हो.

बशर्ते कि दावा अधिकरण छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु बारह महीने से अधिक समय के भीतर आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोकागया था।"

5. हालाँकि, उपर्युक्त प्रावधान 14.11.1994 से निरस्त कर दिया गया था।

6. यह ध्यान देने योग्य है कि दावा याचिका संख्या 71/91 में दिनांक 1.9.1992 के आदेश के तहत समय सीमा के आधार पर अस्वीकृति आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के बजाय, बाद में 1.9.1998 को दो अलग-अलग दावा याचिकाएं संख्या 65/99 और 66/99 दायर की गईं, जिनमें 10.8.1999 को अधिनिर्णय दिया गया, लेकिन प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से दायर एक पुनविलोकन याचिका पर यह सूचित किया गया कि पहली दावा याचिका समय बीत जाने के कारण खारिज कर दी गई थी, इसलिए, दूसरी दावा याचिका पोषणीय नहीं थी। दावा न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए कि दूसरी दावा याचिका प्रन्याय के सिद्धांत के कारण बधित थी, अत: दिनांक 27.8.2001 के आदेश द्वारा दावा प्रकारण क्रमांक 126/2001 को खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपील विधिक अपील. क्रमांक 179/2002 दायर की गई थी, जिसका निराकरण 17 फरवरी, 2009 को किया गया I जिससे अपीलकर्ताओं को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूर्ववर्ती के दावा प्रकारण संख्या 71/1991 में पारित दिनांक 1.9.1992 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की स्वतंत्रता मिल गई पहली दावा अर्थात वह याचिका जिसे समय सीमा से बधित होने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

7.यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपील क्रमांक विधिक अपील.. 179/2002, वर्ष 2002 से 17 फरवरी, 2009 तक लंबित रही और चूंकि स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई जिसे दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.अब, इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया है कि इस स्तर पर जब अधिनियम, 1988 की धारा 166 की उपधारा (3) के प्रावधानों को 14.11.1994 से हटा दिया गया है, तो क्या यह न्यायालय, वर्तमान अपील में सीमा की बाधा को नजरअंदाज कर सकता है और इसे गुण-दोष के आधार पर न्यायनिर्णयन के लिए दावा न्यायाधिकरण को भेज सकता है, क्योंकि ऐसी दावा याचिका के लिए कोई परिसीमा की अवधि अवधि नहीं है। इसके अलावा, यह प्रश्न भी उठा है कि यदि अधिनियम, 1988 की धारा 166 की उप-धारा (3) के अस्तित्वके दौरान कोई दावा याचिका दायर नहीं की गई होती और इसके निरसन के बाद यानी 14.11.1994

को दावा याचिका दायर की गई होती, जब ऐसी दावा याचिका दायर करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, तोन्यायाधिकरण दावा याचिका पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर उसपर निर्णय देने के लिए बाध्य था।

9.उपर्युक्त संदर्भ में, हमारा ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धन्नालाल बनाम डी. पी. विजयवर्गीय एवं अन्य **(1996) 4** एससीसी **652** मामले में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कडिका 7 में दिए गए उदाहरणात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण कोदावा याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। निर्णय का कडिका 7 नीचे पुनः प्रस्तुत हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 7. इस पृष्ठभूमि में, अब यह जांचना होगा कि अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (3) के लोप का क्या प्रभाव है। संशोधन अधिनियम से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उक्त उप-धारा (3) को भूतलक्षी प्रभाव से हटा दियागया है। लेकिन साथ ही, संशोधन अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि धारा 166 की उप-धारा (3) के लोप का लाभ उन लंबित दावा याचिकाओं तक नहीं बढ़ाया जाना है जहां परिसीमा की दलील उठाई गई है। अधिनियम की धारा 166 से उप-धारा (3) के लोप के प्रभाव को एक उदाहरण से परखा

जा सकता है। मान लीजिए कि 14-11-1994 से दो साल पहले एक दुर्घटना हुई थी जब धारा 166 से उप-धारा (3) को हटा दिया गया था। एक या दूसरे कारण से 14-11-1994 तक पीड़ित या पीड़ित के उत्तराधिकारियों द्वारा कोई दावा याचिका दायर नहीं की गई थी। क्या ऐसी दुर्घटना के संबंध में 14-11-1994 के बाद दावा याचिका दायर नहीं की जा सकती है? क्या 14-11-1994 के बाद दायर की गई दावा याचिका को निरस्त किया जा सकता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायाधिकरण ने समय सीमा के आधार पर यह कहते हुए दावा दायर करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है कि धारा 166 की उपधारा (3) के प्रभावी रहने के दौरान निर्धारित बारह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद दावा याचिका दायर करने का अधिकार समाप्त हो गया है और 14-11-1994 से धारा 166 की उपधारा (3) के हटाए जाने के बाद इसे पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। हमारे अनुसार, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। जब धारा 166 की उपधारा (3) को हटा दिया गया है, तो न्यायाधिकरण को ऐसी दुर्घटना घटित होने की तारीख को ध्यान में रखे बिना दावा याचिका पर विचार करना होगा। दावा याचिकाओं को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि ऐसी दावा याचिकाओं

पर उस समय रोक थी जब धारा 166 की उपधारा (3) प्रभावी थी। यह प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है कि संसद ने समय-समय पर पुराने अधिनियम के साथ-साथनए अधिनियम में भी संशोधन पेश किए हैं ताकि दुर्घटनाओं के पीड़ितों और पीड़ितों की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारियों के हितों की रक्षा की जासके। ऐसा ही एक संशोधन अधिनियम में उक्त संशोधन अधिनियम 54/1994 द्वारा धारा 158 की उपधारा (6) को प्रतिस्थापित करके प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नलिखित प्रावधान करता है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

158. (6) जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित किसी दुर्घटना के संबंध में कोई सूचना दर्ज की जाती है या इस धारा के तहत रिपोर्ट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूरी की जाती है,ऐसी स्थिति में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी सूचना दर्ज करने की तारीख से तीस दिन के भीतर या, जैसा भी मामला हो, ऐसी रिपोर्ट के पूरा होने पर अधिकारिता रखने वाले दावा न्यायाधिकरण को रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा और उसकी एक प्रति संबंधित बीमाकर्ता को भेजेगा, और जहां एक प्रति मालिक को उपलब्ध करा दी जाती है, वह ऐसी

रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर उस रिपोर्ट को दावा

न्यायाधिकरण और बीमाकर्ता को भी भेजेगा।अधिनियम की धारा 158

की उपधारा (6) के अनुसार, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दुर्घटना से संबंधित सूचना/रिपोर्ट की एक प्रति अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण को भेजने का आदेश दिया गया है। इसकी एक प्रति संबंधित बीमाकर्ता को भी भेजी जानी है। इसमें यह भी अपेक्षा की गई है कि यदि वाहन स्वामी को कोई प्रति उपलब्ध करा दी जाती है, तो वह ऐसी प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उसे संबंधित न्यायाधिकरण और बीमाकर्ता को भेजेगा । इस पृष्ठभूमि में, धारा 166 से उप-धारा (3) को हटाए जाने को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए ताकि संसद द्वारा उक्त धारा को हटाए जाने का उद्देश्य विफलन हो। यदि दुर्घटना का पीड़ित या मृतक के उत्तराधिकारी प्रतिकार के लिए दावा कर सकते हैं, हालांकि निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के कारण पहले दावा नहीं किया गया है, तो पीड़ित या मृतक के उत्तराधिकारी बदतर स्थिति में कैसे होंगे यदि अन्य प्रकरण में दावा याचिका दायर करने में विलंब की क्षमा का प्रश्न न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। वर्तमान अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसा ही एक मामला है। अपीलकर्ता न्यायाधिकरण से इस न्यायालय तक मुकदमा लड़ रहा है। प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में प्रतिकार पाने के उसके अधिकार का प्रत्यर्थीयों द्वारा इसे दायर करने में देरी के आधार पर विरोध किया जा रहा है। यदि उन्होंने 4-12-1990 को हुई दुर्घटना के संबंध में 14-11-1994 तक दावे के लिए कोई याचिका दायर नहीं की थी, तो संशोधित अधिनियम के अनुसार वह ऐसी दावा याचिका दायर करने के हकदार हो गए, सीमा की अवधि हटा दी गई है, दावा याचिका जो दायर की गई है और इस न्यायालय तक चल रही है, उसे सीमा के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.उस मामले में पीड़ित / घायल ने 7.12.1991 को अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वाह के समक्ष प्रतिकार के लिए दावा याचिका और विलंब की क्षमा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दावा अधिकरण ने 18.11.1993 के आदेश द्वारा विलंब को क्षमा कर दिया, लेकिन प्रतिवादी ने उक्त आदेश की वैधता को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उच्चन्यायालय ने 31.7.1995 के आदेश द्वारा अधिकरण के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अधिनियम, 1988 की धारा 166 की उपधारा (3) के

प्रावधानों के अनुसार अधिकरण द्वारा विलंब क्षमा करने की शक्ति वापस ले लिया जाएगा और कोई भी दावा उसमें निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दावे के लिए याचिका दायर करने के लिए निश्चित अवधि निर्धारित करने का इरादा यह था कि 'मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के संबंध में प्रतिकार देने के दायित्व की तलवार उक्त वाहन के मालिक और ऐसे वाहन को चलाने वाले व्यक्ति के सिर पर मंडराने की अनुमति नहींदी जानी चाहिए। यह भी बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत स्थिति अलग थी, जिसमें धारा 110-ए की उप-धारा (3) ने दुर्घटना की तारीख से प्रतिकार के लिए आवेदन दायर करने के लिए छह महीने की अवधि निर्धारित की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल में छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी ऐसे आवेदन पर विचार करने की शक्ति निहित थी, यदि ट्रिब्यूनल संतुष्ट था कि दावेदार को समय पर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, अधिनियम की धारा 166 की उपधारा (3) के प्रावधान के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण उक्त छह महीने की अवधि के बाद, लेकिन बारह महीने से अधिक नहीं, आवेदन पर विचार कर सकता है। दुर्घटना की तिथि से बारह महीने की अवधि के बाद दायर किसी भी आवेदन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायाधिकरण के पास उन परिस्थितियों पर विचार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं बचा था जिनके कारण दुर्घटना घटित होने के बारह महीने की अवधि के भीतर दावे के लिए आवेदन दायर नहीं किया जा सका। उस निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 8 और 9 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

8.यदि याचिकाकर्ता इसे चुनौती नहीं देता है और उक्त न्यायिक आदेश को अंतिम मान लेता है, तो उपर्युक्त संशोधन अधिनियम ऐसे याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि परिसीमा अवधि के कारण दावा याचिका खारिज करने वाला न्यायिक आदेश अंतिम हो चुका है। लेकिन यह सिद्धांत उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां दुर्घटना की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद दावा याचिका दायर की गई है या नहीं, इस संबंध में विवाद न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे मामलों में, धारा 166 की उपधारा (3) के संशोधन का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए।

"9. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपस्त करते हैं। हम न्यायाधिकरण को निर्देश देते हैं कि वह अपीलकर्ता की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ओर से दायर दावे की याचिका पर विचार करे और विधिके अनुसार यथाशीघ्र उसका निरकरण करे। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा हैं ।"

11.चूंकि वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धन्नालाल (पूर्वोत्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, और यह ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम, 1988 की धारा 166 की उपधारा (3) के लोप के बाद दावा याचिका दायर करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने और मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए दावा न्यायाधिकरण को भेजने के लिए बाध्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.ऊपर वर्णित कारणों से , हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं, दिनांक 1.9.1992 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के साथ-साथमध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेजते हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा हैं

13.यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पक्षकारों को अपनी तर्क में संशोधन करने, अपने तर्क के समर्थन में पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा आगे दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा दस्तावेजों का सत्यापन कराने आदि की अनुमति होगी। तत्पश्चात, न्यायाधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

14.पक्षकार 23 मार्च, 2011 को संबंधित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे।

15. इस आदेश की प्रमाणित प्रति दोसप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
आई. एम. कुद्दुसी
न्यायाधीश

सही/-
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप हीअभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Mamta Mahilange ADV.